3. निचले नर्मदा कछार में इंदिरा सागर (नर्मदा सागर) एवं अन्य परियोजनाएँ

3.1 इंदिरा सागर परियोजना (मध्यप्रदेश)

3.1.1 परियोजना की विशिष्टताएँ

इंदिरा सागर परियोजना (आइ.एस.पी.) मध्यप्रदेश राज्य में सरदार सरोवर बाँध के प्रतिप्रवाह (अपस्ट्रीम) में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना 92 मीटर ऊँची है एवं इसमें 653 मीटर लम्बा कांक्रीट गुरुत्व बाँध निर्मित किया गया है। जिसकी उपयोगी भडारण क्षमता 9750 मिलियन घन मीटर (7.9 मिलियन एकड़ फीट) है। इस परियोजना के अन्तर्गत 160 क्यूमेक शीर्ष प्रवाह वाली 248.65 कि.मी. लम्बी एक नहर का निर्माण किया गया है, जिससे 1.69 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई करने तथा खण्डवा जिले के ग्रामीण इलाकों में 74 मिलियन घनमीटर (0.06 मिलियन एकड़ फीट) पेयजल की आपूर्ति की जायेगी। बाँध से 1,000 मेगावॉट (प्रति यूनिट 125 मेगावॉट क्षमता की 8 यूनिट) की स्थापित विद्युत क्षमता वाले उपसतही विद्युत गृह के द्वारा (बाँध के दाँयें बगल पर स्थित) जल विद्युत उत्पादन करना भी प्रस्तावित है।

परियोजना में मध्यप्रदेश की ओंकारेश्वर एवं महेश्वर जैसी निचली परियोजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन के पश्चात सरदार सरोवर परियोजना को महेश्वर बाँध द्वारा 10.015 मिलियन घन मीटर (8.12 मिलियन एकड़ फीट) जल नियंत्रित रूप से छोड़ा जाएगा। इस परियोजना की 1988-89 के मूल्य स्तर पर अनुमानित लागत रु. 1993.67 करोड़ है, जिसके लिए योजना आयोग द्वारा सितम्बर 1989 में निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई थी। मध्यप्रदेश शासन ने परियोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति रु. 2167.67 करोड़ प्रदान की है, जिसमें परियोजना क्षेत्र के लिए किए जाने वाले पर्यावरण सुरक्षा उपायों की लागत भी शामिल है।

16 मई 2000 को मध्यप्रदेश सरकार एवं राष्ट्रीय जलविद्युत विकास निगम के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार मध्यप्रदेश सरकार एवं राष्ट्रीय जलविद्युत विकास निगम ने इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजना के निर्माण कार्यों को उनके बींच बने एक संयुक्त उपक्रम के द्वारा पूर्ण कराने का निर्णय लिया तदानुसार इंदिरा सागर परियोजना के बाँध (यूनिट-I) एवं विद्युत गृहों (यूनिट-III) एवं ओंकारेश्वर परियोजना के कार्यों को पूर्ण कर उनका प्रबन्धन करने के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत नर्मदा जल विद्युत विकास निगम को संस्थापित किया गया। इस संयुक्त उपक्रम में राष्ट्रीय जल विद्युत विकास निगम की शेयर पूँजी 51 प्रतिशत रखी गई। नर्मदा जलविद्युत विकास निगम ने इंदिरा सागर परियोजना की यूनिट-I एवं III का नवम्बर 2000 में स्वामित्व ग्रहण कर लिया। मध्यप्रदेश सरकार इन दोनों परियोजनाओं के सिंचाई नहर तंत्र (यूनिट-II) के लागत व्ययों को तथा यूनिट-I की सिंचाई घटक की लागत को वहन करेगी।

संयुक्त उपक्रम नर्मदा जल विद्युत विकास निगम ने इंदिरा सागर परियोजना की यूनिट-I एवं III के कार्यों को अपने स्वामित्व में लेने के पश्चात परियोजना के प्राक्कलन को एक बार और संशोधित किया। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सहमति के आधार पर आर्थिक मामलों से सम्बद्ध मंत्रीमंडलीय समिति ने सितम्बर 2000 के मूल्य स्तर के आधार पर यूनिट-I एवं यूनिट-III के लिए 4355.57 करोड़ (आई.डी.सी. के 488.37 करोड़ शामिल है।) पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। कुल अनुमानित व्ययों में विद्युत अवयवों पर रु. 3527.54 करोड़, सरदार सरोवर परियोजना की यूनिट-I पर रु. 464.51 करोड़ एवं इंदिरा सागर परियोजना के लिए सिंचाई अवयव पर रु. 363.52 करोड़ प्रभारित किए गए हैं। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने सितम्बर 2000 के मूल्य स्तर के आधार पर यूनिट-II (नहरें) के लिए सम्भावित रूप से अनुमानित व्यय के रूप में रु.1200 करोड़ की राशि बतायी है (इसमें यूनिट-I पर आने वाले वे व्यय शामिल नहीं हैं, जो यूनिट-II पर भारित होने हैं।)

3.1.2 बाँध, उत्प्लाव एवं संलग्न कार्यों की स्थिति

नदी डायवर्शन में डायवर्शन सुरंग एवं गूँस नेकॅ सुरंग के कार्यों के साथ-साथ इसके प्रवेश कपाट (इन्ॅलिट गेट) संस्थापित किए जाने के कार्य बहुत पहले ही पूरे किए जा चुके है। बाँध स्थल पर संरचनात्मक सुविधा के निर्माण कार्य भी पूरे किए जा चुके है। सील् के साथ-साथ सभी 20 कपाटों को संस्थापित किए जाने के कार्य पूरे किए जा चुके है। सभी कपाटों का प्रचालन एवं परीक्षण सफलतापूर्वक किया जा चुका है।